

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1160 / 2012 / झुंझुनूं

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-झुंझुनूं

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स आदित्य कोल्ड ड्रिंक्स, खेतड़ी रोड़, चिड़ावा, झुंझुनूं

.....प्रत्यर्थी.

2. प्रत्याक्षेप संख्या – 2258 / 2012 / झुंझुनूं

मैसर्स आदित्य कोल्ड ड्रिंक्स, खेतड़ी रोड़, चिड़ावा, झुंझुनूं

.....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-झुंझुनूं

.....अप्रार्थी.

खण्डपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी राजस्व की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

दिनांक : 14 / 12 / 2017

निर्णय


1. यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 279 / आरवेट / झुंझुनूं / 2011-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत-झुंझुनूं (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 24, 25, 3(2) के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 14.12.2010 के विरुद्ध अपील को आंशिक स्वीकार किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत पंजीकृत होने से रुपये 50 लाख के टर्नओवर तक 0.25 प्रतिशत की दर से पूरे टर्नओवर पर कर दिये जाने के दायित्वाधीन था। वर्ष 2008-09 में व्यवहारी द्वारा वांछित वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र वेट-11 में रुपये 25.16 लाख की बिक्री घोषित करते हुए उस पर 0.25 प्रतिशत की दर से कर रुपये 6291/- का कर जमा करवाया गया था परन्तु बाद में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बहियात की जांच पर पाया गया कि उस वर्ष में कुल

लगातार.....2






14/12/17

बिक्री रूपये 43.36 लाख की, की गयी थी। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तर बिक्री रूपये 18.20 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर एवं इसे करापवंचन मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति भी आरोपित की गई, जिसके विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवसायी की बहियात की पूर्ण जांच कर यह अवधारित किया गया कि उनके द्वारा जो बिक्री की गयी थी वह उनके बहियात में दर्ज थी एवं केवल लिपिकीय त्रुटि की वजह से अन्य वर्ष की राशि विवरण-पत्रों में दर्शाते हुए कम राशि का विवरण प्रस्तुत कर दिया गया था, उनके बहियात में समस्त बिक्री दर्ज की हुई थी एवं समस्त बिक्री राज्य के भीतर होने से वेट अधिनियम की धारा 3(2) से बाहर नहीं किया जा सकता एवं न ही कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसा किया गया है। चूंकि इस प्रकरण में मात्र बिन्दु यह अवशेष था कि त्रुटि की वजह से उस वर्ष के टर्नओवर 43.36 लाख के बजाय 25.16 लाख दर्ज किया गया था जो पुनः रूपये 50 लाख से कम टर्नओवर होने से वेट अधिनियम की धारा 3(2) सपठित धारा 4(3) के तहत ही करदेयता 0.25 प्रतिशत रहती है अथवा उस पर धारा 4(1) से 12.5 प्रतिशत कर दर लागू होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन का ऐसा कोई मामला नहीं बनाया गया जो व्यवहारी को वेट अधिनियम की धारा 3(2) के तहत डीलर होने के लाभ से वंचित कर सके क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने यह विवाद नहीं किया है कि व्यवहारी द्वारा समस्त खरीद बिक्री वेट अधिनियम की धारा 3(2) की शर्त के अनुसार राज्य के भीतर नहीं की गयी थी। ऐसी स्थिति में उनकी करदेयता 0.25 प्रतिशत ही रहती है। इस सम्बन्ध में इसी बिन्दु पर कर बोर्ड द्वारा भी मैसर्स गुरुकृपा एन्टरप्राइजेज बनाम सहायक आयुक्त (2011)31 TUD Page 57 में यह निर्णय किया जा चुका है कि धारा 3(2) के तहत पंजीकृत व्यवहारी के मामलों में 0.25 प्रतिशत की दर से ही करारोपण किया जा सकता है। इस आधार पर 0.25 प्रतिशत से कर एवं उसकी दुगुनी राशि की शास्ति एवं ब्याज की सीमा तक की मांग राशि की ही पुष्टि करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है।

4. परिणामस्वरूप अपीलीय आदेश की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील एवं व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत क्रॉस ऑब्जेक्शन अस्वीकार किये जाते हैं।

5. निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य


(राजीव चौधरी)
सदस्य